अति महत्वपूर्ण/शीर्ष प्राथमिकता

संख्या- **3 / 2018 / 219 / 33-3-2018-114 / 2012**

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

2- समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पंचायती राज अनुभाग-**3**

लखनऊ: दिनांक: 31 जनवरी, **2018**

विषय:- जल जनित रोगों से निपटने तथा ए0ई0एस0/जे0ई0 की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु अन्तर्विभागीय सहयोग एवं समन्वय के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर दिनांक 24.01.2018 को मा0 मुख्यमंत्री जी के स्तर पर सम्पन्न बैठक में मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा यह निर्देश दिये गये है कि जल जनित रोगों से निपटने तथा ए0ई0एस0/जे0ई0 की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु मई, 2018 तक सारी तैयारियाँ सुनिश्चित कर ली जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक सफाई संतोषजनक नहीं है, उसमें सुधार किये जाने की और आवश्यकता है। अत: इस सम्बन्ध में निम्न कार्यवाही सुनिश्चित की जायें:-

(क) स्वच्छता हेतु एक माह का विशेष अभियान/पखवाड़ा चलाया जाए, जिसमें सामुदायिक जागरूकता के लिए प्रयास किया जाए। हर गली में सफाई करायी जाए, कोई भी जगह सफाई से बचने न पाये, लोगों को सफाई के प्रति जागरूक किया जाए तथा सफाई के लिए ग्राम प्रधान एवं पंचायत कर्मियों को उत्तरदायी ठहराया जाए। अप्रैल, 2018 में सभी विभागों द्वारा स्वच्छता हेतु एक माह का विशेष अभियान/पखवाड़ा चलाया जाए, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग को नोडल विभाग घोषित किया जाता है। अत: स्वास्थ्य विभाग से ए0ई0एस0/जे0ई0 प्रभावित जनपदों से गांव की सूची प्राप्त कर अपनी कार्ययोजनाओं बनाकर समस्त कार्य मई, 2018 तक पूर्ण कर ली जाय, क्योंकि ए0ई0एस0/जे0ई0 से प्रभावित केसेज जुलाई से आने प्रारम्भ हो जाते हैं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(ख) मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिये गये कि समस्त 39 जनपदों में शत्-प्रतिशत परिवारों को शौचालय से 31 मार्च, 2018 तक संतृप्त किया जाए। क्योंकि प्रश्नगत बीमारियां शौचालय के अभाव में खुले में शौच एवं दूषित जल के पीने से फैलता है।

(ग) मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा यह भी निर्देश दिये गये हैं कि कतिपय सफाई कर्मी कार्यालय एवं अधिकारियों के घरों पर लगाये गये हैं, जिससे सफाई कार्य प्रभावित होता है। अतः तत्काल सफाई कर्मियों को उनके तैनाती स्थल पर भेजा जाए।

2- जल स्रोतों को ठीक करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि हैण्डपम्प के चबूतरे क्षतिग्रस्त न हों, जिससे पानी का सीवेज न हो सके। प्रयोग किये गये जल को नाली के सहारे गांवों से दूर निकाला जाए, यदि आवश्यकता हो तो पिट बनाया जाए। जहां तालाबों के पानी का डिस्पोजल हो रहा है उन तालाबों की भी सफाई आदि कराई जाए। कुओं और नलों में डिसइन्फेक्शन हेतु क्लोरीफिकेशन तदोपरान्त H_2S वायल द्वारा जल निगम के सहयोग से जल की गुणवत्ता की जांच बरसात से पहले करा ली जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि जनता को गुणवत्तायुक्त जल की प्राप्ति हो रही है?

3- पाईप पेयजल योजना जिसे जल निगम द्वारा ग्राम पंचायतों को हैण्डओवर किया जा चुका है। उसका सर्वे कराकर यह देख लिया जाए कि वे सभी क्रियाशील हैं, उनके क्रियाशीलता के बारे में अधिकारियों से जांच भी करा ली जाए।

4- छिड़काव के लिए स्वास्थ्य विभाग एवं पंचायती राज विभाग द्वारा धनराशि उपलब्ध करा दी गयी थी। छिड़काव गांव स्तर पर हो रहा है अथवा नहीं, उसकी जांच करा ली जाए तथा यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि गांव की नालियां टूटी-फूटी न हों और सड़क के किनारे जहां जल जमा होता है वहां खडन्जा लगवा दिया जाए। जो कार्ययोजना बनाई जाए उसके आधार पर क्या कार्यवाही जनपदों में की जा रही है, उसकी भी समीक्षा करके दिये गये निर्देशों का धरातल पर क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जाए।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त आदेशों का अपने तथा अपने अधीनस्थ स्तरों पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(चंचल कुमार तिवारी **)**
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या व दिनांक- तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।

2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग/स्वास्थ्य विभाग/ग्राम्य विकास विभाग/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग/बेसिक शिक्षा विभाग/वित्त विभाग उ0प्र0 शासन।

3- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।

4- निदेशक, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0/मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) को निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित।

5- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।

6- समस्त मण्डलीय उपनिदेशक (पं0), उ0प्र0।

7- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जोगेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।